भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 507
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर विधि और न्याय मंत्रालय के सुझाव

507. श्री दीपक बैज :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडब्ल्यू) द्वारा उन कर्मचारियों, जिनकी भर्ती का विज्ञापन 31.12.2003 को या उससे पहले जारी किया गया था, को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे से बाहर करने और उच्चतम न्यायालय तथा अलग-अलग उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय का सुझाव मांगा गया था ;

(ख) यदि हां, तो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों/टिप्पणियों सहित उक्त टिप्पणियों में विलंब करने के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी छवि को धूमिल करने के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) और पुनरीक्षण याचिका (आरपी) की दाखिले पर ही सुनवाई किए बिना खारिज करने के बाद प्रत्येक मामले में झूठी मुकदमेबाजी के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विधि कार्य विभाग को तारीख 12.11.2021 के प्रति एक निर्देश किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों से 31.12.2003 को या उससे पूर्व विज्ञापन की तारीख के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के अधीन जोड़ने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर सलाह देने की मांग की है, जिन पदों पर उन्हें नियुक्त किया गया था ।

इस संबंध में, विधि कार्य विभाग ने तारीख 24.11.2021 के टिप्पण द्वारा तत्परता से सलाह दी कि न्यायिक मंच द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें या उच्च न्यायिक मंच के समक्ष निर्देशों को चुनौती दें, यदि जारी किए गए निर्देश मंत्रालय/विभाग की नीतियों के विरुद्ध हैं, उक्त मंत्रालय/विभाग के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय में अंतिम रूप ले चुका है तो मंत्रालय/विभाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा, अन्यथा मंत्रालय/विभाग को न्यायालय के समक्ष अवमानना कार्यवाही के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

विषय पर आगे किसी भी निर्देश पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी या पुनर्विलोकन याचिका फाइल करने का प्रस्ताव संबंधित विभाग/मंत्रालयों में उत्पन्न होता है जिसे विद्वान विधि अधिकारी की सुविचारित राय के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) की तारीख 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) प्रस्तुत की गई। एनपीएस 01.01.2004 (सशस्त्र बल को छोड़कर) से केंद्रीय सरकार सेवा में सभी नई भर्तियों के लिए आज्ञापक है। तारीख 22.12.2003 अधिसूचना के विनिर्दिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवरेज के लिए पात्रता अवधारित करने के लिए रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को सुसंगत नहीं माना जाता है।

****